श्री वैष्णव पोलिटेक्निक महाविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक : वीपी / प्र.प्रा. / स्था / 2025 / 504. दिनांक : 29 / 08 / 2025.

डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञापन, नियम एवं शर्तें

मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक / एफ–1–6 / 2020 / 42–1, दिनांक 27 / 01 / 2022 में निहित नियम एवं शर्तो तथा कार्यालय आयुक्त तकनीकी शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक प्रशा. / 2 / राज / ए–बी / 2023 / 584 दिनांक 18 / 05 / 2023 के अनुसार महाविद्यालय में संचालित निम्न सारणी अनुसार संकायो / विषयों में शैक्षणिक **सत्र 2025–2026** के लिए अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्तियों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है :–

स.क्र.	विभाग / विषय	आवश्यक रिक्त पद
1	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	1
2	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	1
3	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	1
4	गणित	1
5	अंग्रेजी	1
कुल योग		**5**

- आवश्यकता अनुसार पदों की रिक्तियॉ किसी भी स्तर पर घटाई बढ़ाई जा सकती है।
- आवेदक को अपनी समस्त प्रविष्टियॉ जैसे कि नाम / पता / जन्मतिथि / अर्हता इत्यादि फार्म पर भरना है एवं समस्त जरूरी दस्तावेजों के साथ संस्था में जमा करना है।
- अर्पूण आवेदन को निरस्त माना जावेगा।
- **आवेदन पत्र डाक से पहुँचने अथवा व्यक्तिगत रूप से जमा करने की अंतिम तिथि 22 / 09 / 2025 है। इस तिथि तक संस्था में प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जावेगा।**
- महाविद्यालय मे अतिथि व्याख्याता के रूप में नियुक्ति हेतु अर्हता एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार रहेगी। शैक्षणिक अर्हता संबंधी जानकारी के लिये भारत का राजपत्र दिनांक 01 मार्च 2019 अभातशिप डिप्लोमा विनियम, 2019 अभातशित की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- आवेदक की अंक सूची (मार्कशीट) मे यदि कोई वर्ग / श्रेणी प्रदान नहीं की गई है, तो ऐसी स्थिति में सफल अंको के अधिकतम 60 प्रतिशत अंको पर प्रथम वर्ग / श्रेणी के समकक्ष विचार किया जाएगा। एवं यदि आवेदक की अंक सूची में सीजीपीए को प्रतिशत मे परिवर्तित करने का प्रावधान / फार्मूला नही दिया है तो निम्नानुसार समकक्ष अंको मे परिवर्तित किया जाएगा (अभातशिप अधिसूचना दिनाक 01 मार्च, 2019 के अनुसार) :–

R. 29.8.25

29/8/2025

ग्रेड अंक	समकक्ष प्रतिशतता
6.25	55%
6.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

- आवेदन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा एप्लीकेशन फार्म एवं प्रोसेस चार्जेज रूपये 200/– + 18 % GST **कुल रूपए 236/–** देय होगा, जिसके उपरांत ही आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण मानी जावेगी। शुल्क जमा न किये जाने की स्थिति में ऐसे आवेदन स्वतः ही रिक्रूटमेंट प्रक्रिया से बाहर हो जावेंगे।
- एप्लीकेशन फार्म तथा प्रोसेस चार्ज रूपये 200/– + 18 % GST **कुल रूपए 236/–** के साथ भुगतान निम्न QR कोड द्वारा किया जावेगा।

R.N.
29.08.25
२९/८/२०२५

श्री वैष्णव पोलिटेक्निक महाविद्यालय मे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु

(संस्था में जमा करने की अंतिम तिथि 22/09/2025)

क्रमांक/एफ–1–6/2020/42–1:: राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्री–परिषद के आदेश आयटम क्रमांक –15 दिनांक 18/01/22 तथा कार्यालय आयुक्त तकनीकी शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक प्रशा./2/राज/ए–बी/2023/584 दिनांक 18/05/2023 के अनुसार पोलिटेक्निक महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष/व्याख्याता के स्वीकृत रिक्त पदो के आधार पर अधिकतम 11 माह हेतु अतिथि व्याख्याता के रूप में मासिक मानदेय अधिकतम रूपये 30,000/– (रूपये तीस हजार) के भुगतान पर आगामी शैक्षणिक सत्र 2025–2026 से आमंत्रित किये जाने हेतु निम्नानुसार नवीन दिशा–निर्देश जारी करता है :–

2. पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में विभागाध्यक्ष/व्याख्याता के स्वीकृत पदों मे से रिक्त पदो के आधार पर आमंत्रित होकर अतिथि व्याख्याता के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित/निरस्त करते हुए नवीन निर्देश निम्नानुसार होगे :–

2.1 अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में विभागाध्यक्ष/व्याख्याता के रिक्त पदो के आधार पर की जायेगी

2.2 अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था वास्तविक अध्यापन की आवश्यकता एवं अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या के आधार पर अभातशिप के मापदंड के अनुसार निर्धारित वर्कलोड के अनुसार की जायेगी।

2.3 संबंधित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अभातशिप के मापदंड अनुसार रहेगी।

2.4 अतिथि व्याख्याता किसी भी स्थिति में नियमित महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माने जायेगें और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अन्तर्गत 'लोक सेवक' नही माने जायेगें।

2.5 अतिथि व्याख्याताओं को महाविद्यालय में प्रति दिवस न्यूनतम 5 घण्टे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घण्टे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, जिसके अनुसार प्रति दिवस औसत 7 घण्टे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि व्याख्याताओं द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घण्टे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त वे ट्यूटोरियल, अतिरिक्त कक्षायें, प्रायोगिक कार्य, प्रवेश, परीक्षा कार्य योजनाओं का संचालन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियॉ, युवा–उत्सव आदि का भी कार्य संपादित करेंगे। शासन/महाविद्यालय की आवश्यकता अनुसार प्राचार्य के निर्देश पर अतिरिक्त कार्य भी संपादित करवाया जा सकेगा।

3 अतिथि व्याख्याओं के आमंत्रण की प्रक्रिया :–

3.1 अतिथि व्याख्याता का आमंत्रण पत्र शैक्षणिक सत्र के **अधिकतम 11 माह** के लिए प्राचार्य द्वारा शासी निकाय के सचिव की हैसियत से जारी किया जाएगा।

3.2 अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों/संस्थाओं में कार्य नहीं करेगा। इस आशय का शपथ–पत्र कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व अभ्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

3.3 आमंत्रित आवेदक को महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में अपनी उपस्थिति देकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। अतिथि व्याख्याता द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्राचार्य द्वारा समस्त अभिलेखों का मूल दस्तावेजों से परीक्षण एवं संतुष्टि उपरांत ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

3.4 अतिथि व्याख्याता के आमंत्रण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि उनके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है । इसके लिए अतिथि व्याख्याता को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही इस आशय का भी शपथ पत्र देना होगा कि वह किसी अन्य शासकिय/अर्द्धशासकीय/अशाकिय सेवा में नही है।

3.5 किसी भी स्थिति में स्थानांतरण से नियमित पदस्थापना या नवीन नियक्ति से पदस्थापना के कारण पद भरे जाने पर उक्त पद के आधार पर आमंत्रित अतिथि व्याख्याताओं का आमंत्रण समाप्त समझा जायेगा।

3.6 महाविद्यालय में आमंत्रण के आधार पर कार्यरत अतिथि व्याख्याता यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका आमंत्रण स्वतः समाप्त माना जावेगा, जिसकी जानकारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा संचालनालय एवं अभ्यर्थी को प्रेषित की जायेगी।

3.7 अतिथि व्याख्याता को सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा शासन/महाविद्यालय के प्राचार्य के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

3.8 अतिथि व्याख्याता द्वारा संपूर्ण सत्र में सत्र में किए गए पठन–पाठन कार्य का मूल्याकंन संबंधित विद्यार्थियों के विश्वविद्यालय परीक्षा के अर्जित अंको एवं प्राचार्य के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

3.9 प्राचार्य महाविद्यालय में आमंत्रित अतिथि व्याख्याता के अध्यापन कार्य संबंधी समस्त रिकार्ड अपने अधीन संधारित रखेगें ताकि मूल्यांकन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सके।

3.10 प्रसूति के कारण अवकाश पर रहने वाली महिला अतिथि व्याख्याता की प्राचार्य द्वारा अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा तथा प्रसूति अवकाश के दौरान उस महिला अतिथि व्याख्याता के स्थान पर कोई अन्य अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित नहीं किया जावेगा। अवैतनिक अवकाश स्वीकृति के समय में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सामान्य निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। अवैतनिक प्रसूति अवकाश का लाभ होने के उपरांत महिला अतिथि व्याख्याता द्वारा आमंत्रण की शेष अवधि में अपना कार्य पूर्ण किया जाएगा।

R.N. 29.08.25 २०/८/२०२५

4. मानदेय का निर्धारण :—

4.1 अतिथि व्याख्याता की महाविद्यालय मे माह के सम्पूर्ण कार्य दिवस उपस्थिति होने पर रूपये 30,000/—का भुगतान किया जाएगा।

4.2 अतिथि व्याख्याता की महाविद्यालय मे माह के सम्पूर्ण कार्य दिवस उपस्थित नही होने पर

कुल मानदेय	30,000 X संतोषप्रद कार्य की उपस्थिति के दिवसों की संख्या
	माह में कुल कार्य दिवसों की संख्या

5. चयन प्रक्रिया :—

5.1 संस्था द्वारा प्रतिवर्ष चयन प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा।

5.2 65 वर्ष से कम आयु वर्ग के ऐसे आवेदक जो अभातशित से प्रचलित विनियमो के अनुरूप शैक्षणिक अर्हता रखेगे ये विज्ञापित पद के विरूद्ध आवेदन भर सकेगे।

5.3 आमत्रण के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग (क्रिमिलियर छोडकर) को सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा—निर्देशानुसार पद के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हता के प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। इसी प्रकार दिव्यांग अभ्यार्थियों को भी अधिभार दिया जायेगा।

5.4 पोलिटेक्निक महाविद्यालय में पूर्व मे कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को अधिकतम पॉच वर्षो का 20 अंको का अधिभार अनुभव के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष हेतु अधिकतम अधिभार 4 अंको का होगा।

काल खण्डो की संख्या (एक शैक्षणिक सत्र में)	अधिभार
151 या अधिक कालखण्ड	4 अंक
101 से 150 कालखण्ड	3 अंक
51 से 100 कालखण्ड	2 अंक
50 या इससे कम कालखण्ड	1 अंक

उक्त आशय का प्रमाण—पत्र अभ्यर्थी को संबंधित महाविद्यालय प्राचार्य से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना।

5.5 इस व्यवस्था के तहत निम्नलिखित श्रेणियो मे मेरिट सूचीयॉ तैयार की जायेगी। अन्तिम मेरिट सूची अतिथि व्याख्याता द्वारा न्यूनतम अर्हता उपाधि के दर्ज एवं सत्यापित प्राप्तांको के प्रतिशत के साथ अन्य अधिभारों को जोडते हुए बनाई जायेगी।

श्रेणी 1 :— सबधित विषयो मे पीएचडी एवं गेट/नेट/स्लेट
श्रेणी 2 :— सबधित विषयो मे पीएचडी या गेट/नेट/स्लेट
श्रेणी 3 :— सबधित विषय में स्नातकोत्तर
श्रेणी 4 :— संबधित विषय में स्नातक (सबधित विषय के लिये स्नातक न्यूनतम अर्हता का प्रावधान होने की स्थिति)

5.6 मेरिट अंको की गणना :—संबंधित विषय के लिये आवश्यक न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत मे से 50 घटाया जायेगा तथा अधिभार जोडा जायेगा। उदाहरण के लिये यदि किसी आवेदन के न्यूनतमम अर्हकारी परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किये है, अनुसूचित जाति का है, दिव्यांग भी है एवं 5 वर्षो का अनुभव है, तो उसके मेरिट अंक निम्नानुसार होगें :—

न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा	—	25 अंक
अनुसूचित जाति श्रेणी के लिये अधिभार	—	7.5 अंक
दिव्यांग के लिये अधिभार	—	7.5 अंक

5.7 श्रेणी के क्रमानुसार ही अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित किया जायेगा। अर्थात् श्रेणी—1 के अतिथि व्याख्याताओं को उच्चतम वरियता दी जायेगी। उसके पश्चात् क्रमशः श्रेणी— 2,3 एवं 4 की वरियता दी जायेगी। श्रेणी समान होने पर मेरिट अंको की वरियता देखी जायेगी। श्रेणी तथा मेरिट अंक समान होने पर अधिक आयु वाले अतिथि व्याख्याता को वरीयता दी जायेगी।

5.8 इस विज्ञापन के संदर्भ मे व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु समस्त अधिकार संस्था प्रशासन के पास रहेगें।

29/08/25
प्रभारी प्राचार्य
Incharge Principal
Shri Vaishnav Polytechnic College
INDORE - 452 002 (M.P.)

R.N.
29.08.25